भाकृअनुप-केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान
कासरगोड़ - 671124, केरल, भारत
ICAR-Central Plantation Crops Research Institute
Kasaragod 671124, Kerala, India
(An ISO 9001:2015 Certified Institution)
Phone (Off): 04994 - 232333
Fax: 04994 - 232322
(EPABX) : 04994 - 232893-95
04994 - 232090
04994 - 232996
Email: director.cpcri@icar.gov.in
directorcpcri@gmail.com
Website: https://cpcri.icar.gov.in

ई मि. स. 7(21)/89-2020हिंदीशिक्षण दिनाँक 09/12/2021

## पृष्ठांकन (ENDORSEMENT)

पत्र सं. हिंदी/04/हिंदी भाषा प्रशिक्षण/2021-22/1238 से 2881 दिंनाकित 10/11/2021, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उपनिदेशक (पश्चिम) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, संबधित कर्मचारियों/अधिकारियों सूचनार्थ पृष्ठांकित किया जाता है।

As per the communication received from the Department of Official Language vide Ref. No. HINDI/04/HINDI BHASHA PRASHIKSHAN/2021-22/1238 to 2881 dated 11.11.2021 regarding the forth coming session of long term training through Online mode of Hindi Teaching Scheme for the Session from January to May 2022, the details of the long term training of Hindi PRABODH, PRAVEEN, PRAGYA AND PARANGAT is attached herewith for kind information and necessary action.

**(नील विंसर)**
**प्रभारी सदस्य सचिव (राजभाषा)**

**वितरण :-**

01. सभी संबधित कर्मचारियों/अधिकारियों, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड़/क्षेत्रीय स्टेशन, विट्टल/ क्षेत्रीय स्टेशन, कायंकुल्लम/ अनुसंधान संस्थान, काहीकुचि, असम/अनुसंधान संस्थान, मोहितनगर।

02. ई-कार्यालय (प्रशासक) केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड़।

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

उप निदेशक(पश्चिम) का कार्यालय

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (WEST)

हिंदी शिक्षण योजना

HINDI TEACHING SCHEME

No. HINDI/04/HINDI BHASHA PRASHIKSHAN/2021-22/**1238 to 2881** Date:11/11/2021

To,

The Liaison Officer (Hindi)
Director/Joint Director/Manager (Official Language), Administrative Officer
All Central Government Offices/Nationalized Banks, Undertakings and Organizations etc.
Mumbai/NaviMumbai/Pune/Nagpur/
Vadodara/Ahmedabad/Bengaluru/Mangaluru/ /Hubballi/Mysore.

**Sub: Organisation of long term Hindi Prabodh, Praveen, Pragya&Parangat Classes under Hindi Teaching Scheme for the session, Jan- May 2022 .**

Sir/Madam,

I have been directed to inform that the forthcoming session of long-term training of Hindi PRABODH, PRAVEEN, PRAGYA AND PARANGAT under Hindi Teaching Scheme will commence from 3rd January, 2022. Please nominate the untrained officers/staff as per the eligibility to these classes for training. The list of nominated officers/employees in the prescribed form may be sent to the address given in the annexure-I to the Office of the Hindi Teaching Scheme located /situated in the respective centres by 13.12 2021.

All the training sessions are to be conducted online . However if any Office wants to start a offline class in their office premises maintaining all covid protocols , they may sent a letter regarding opening a training centre with detailed information and precautions taken for maintaining social distancing etc. For more information in this regard, contact the Hindi Pradhyapak /Assistant Director of the concerned Centre.

A Brief synopsis of training programme:

| Name of the Course | Period Jan.- May,2022 | Exam Time | Eligibility |
|---|---|---|---|
| **PRABODH** | Two hours on alternate working days(Six Hours in a week) | 3rd/ 4th Week of May, 2022 | Officials whose Hindi knowledge is below primary (5th std.) level or whose mother tongue is Tamil, Telegu, Kannada, and Malayalam they can take admission in this course. |
| **PRAVEEN** | As Above | As Above | This is the secondary level course. Officers / Employees who have passed the prabodh Examination and whose mother tongue is Marathi, Sindhi, Gujarati, Maithili, Santhali, Bodo, Dogri, Nepali, Bengali, Assamese and Oriya and do not possess the Knowledge of Hindi of Middle level can take direct admission in this course . |
| **PRAGYA** | 1 ½ hours on alternate working day (Three Hours in a week) | As Above | This is for all such Officers/Employees who have passed the Praveen Examination or whose mother tongue is Kashmiri, Punjabi, Urdu and Pashto and who possess the knowledge of Hindi of middle/secondary level or whose knowledge of Hindi is below Matriculation or Tenth class level can take direct admission in the pragya level training program. |
| **PARANGAT** | As Above | As Above | As per O.M. No. 12012/03/2015-O.L.(Policy) Dated 22/04/2015 all Officers/Employees of all the Ministries/Dept. of Government of India/Subordinate & attached offices/All Public Sector owned or controlled by Central Govt./Statutory Orgn./Enterprises/Agencies /Corpn. Etc. will be eligible to this course who possess "Working Knowledge of Hindi" |

Eligible officers/employees are to be trained till the last course prescribed for their post

2./

केंद्रीय सदन,छठी मंजिल, सी विंग-601, सेक्टर-10,सी बी डी, बेलापुर, नवी मुंबई-400614
Kendriya Sadan,6th Floor,C Wing-601,Sector-10, CBD ,Belapur,Navi Mumbai-400614
ई मेल/email: ddhts.west-dol@nic.in दूरभाष एवं फैक्स/Tel./Fax No. : 020-26114747

To impart Hindi Language Training to the group 'D' Personnel who have been placed in-group 'C'.

In respect of group 'D' personnel who have been placed in Group 'C' on the recommendations of the Sixth Pay Commission, attention is invited to the Department of Official Language OM No. 14034/30/2009-OL(Trg), Dated 06January, 2010. Hindi training has been made compulsory for those who possess the prescribed educational qualification for group 'C'. Accordingly, the personnel of your office who have been placed in Group 'C' from Group 'D' may kindly also be nominated as per their eligibility.

Financial Incentives:

- Central Govt. Officers/Employees are entitled for the grant of personnel pay, equal to one increment for a period of 12 months subject to fulfillment of prescribed conditions.
- Actual conveyance charges from office to training Centre and back, if distance is more than 1.6 k.m Charges will be borne by the office concerned
- Cash awards are granted after passing Prabodh, Praveen &Pragya examination on fulfilling prescribed terms and conditions.
- Officers/Employees are given cash awards as per following table on passing the Parbodh, Praveen and Pragya examination and fulfilling the prescribed conditions. Personal pay and cash awards are paid by the respective offices of the trainees.

| | | |
|---|---|---|
| **PRABODH** | On Securing 55 % But Below 60 % Marks | ₹400/- |
| **PRABODH** | On Securing 60 % But Below 70 % Marks | ₹800/- |
| **PRABODH** | On Securing 70 % Or More Marks | ₹1600/- |
| **PRAVEEN** | On Securing 55 % But Below 60 % Marks | ₹600/- |
| **PRAVEEN** | On Securing 60 % But Below 70 % Marks | ₹1200/- |
| **PRAVEEN** | On Securing 70 % Or More Marks | ₹1800/- |
| **PRAGYA** | On Securing 55 % But Below 60 % Marks | ₹800/- |
| **PRAGYA** | On Securing 60 % But Below 70 % Marks | ₹1600/- |
| **PRAGYA** | On Securing 70 % Or More Marks | ₹2400/- |
| **PARANGAT** | On Securing 55 % But Below 60 % Marks | ₹4000/- |
| **PARNGAT** | On Securing 60 % But Below 70 % Marks | ₹7000/- |
| **PARANGAT** | On Securing 70 % Or More Marks | ₹10000/- |

Examination Fee:

- The training in all these courses is provided free to all Central Government Offices. However, the PSU's, Banks and Undertakings etc are required to remit an examination fee worth ₹100/-per candidate for each course in the form of Online/DD drawn in favour of Deputy Director (Examination), Hindi Teaching Scheme, payable at New Delhi.
- There is no examination fee for **Parangat course**

Nomination Process &Proforma:

- Details of all the of regular/private nominated candidates/trainees (irrespective of offline/online mode of training) are now to be entered in the online system of Central Hindi Training Institute, Department of Official Language.. The details of the candidates required for the entry in the online system are given in Annexure –II -Part 'B' . Details of the nominated officer, complete postal address of the office, phone No., E-mail I.D. etc. may please be clearly indicated in the nomination proforma.
- List of nominated Officials for the said training may please be sent to this office latest by 13th December, 2021inprescribed nomination form attached at Annexure – II-Part A It is mandatory to to mention the number of yet to be trained employees.
- No confirmation letter will be sent to the individual/office to take admission in the training class from our end.
- Nominated Trainees may directly contact the Assistant Director/Hindi Pradhyapak of the concerned training Centre on 3rd Jan. 2022
- No confirmation letter will be sent to the individual/office to take admission in the training class from our end.
- Nominated trainees on taking admission will be issued a written confirmation for the same which may be submitted to their concerned offices. This will help the concerned office to take suitable action against nominated officers/employees not reporting for training.

3./

SPECIAL NOTE:

Administrative Heads of all Ministries, Departments, Undertakings, Banks, Corporations etc. are requested to circulate this circular to all concerned offices/units/branches at the earliest. It is the responsibility of the Administrative Head of the concerned office to ensure that maximum number of personnel are nominated for training, the nominated employees must take admission in the classes, attend the classes regularly and compulsorily also appear in the examination. So that the available government resources for training can be fully utilized and training targets can be achieved in stipulated time.

As far as possible, the nominated trainees should not be transferred or withdrawn during the period of training and should not be nominated for any other training during this period.

Yours faithfully,

(Dr.RAKESH KUMAR)
Deputy Director (West)
Hindi Teaching Scheme
NAVI MUMBAI

Endorsement No. HINDI/04/HINDI BHASHA PRASHIKSHAN/2021-22/ **1238 to 2881** Dated 10/11/2021
Copy Forwarded to -

1. All Officer in Charge, Hindi Teaching Scheme, Pune / Vadodara/ Ahmedabad / Bengaluru / Mangaluru/ Hubballi / Mysore with the request to circulate it to the Liaison Officers (Hindi) located in their respective centres.
2. All Hindi Pradhyapak/Assistant Director, Hindi Teaching Scheme, Mumbai / Pune/ Nagpur/ Vadodara/ Ahmedabad/ Bengaluru / Mangaluru/ Hubli /Mysore.
3. All the Member Secretaries, TOLIC with the request to circulate this letter to all the member offices.
4. Joint Director (Language), Central Hindi Training Institute, New Delhi.

(Dr.RAKESH KUMAR)
Deputy Director (West)
Hindi Teaching Scheme
MUMBAI

922541/2021/HINDI-HQ

अति तत्काल

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

उप निदेशक(पश्चिम) का कार्यालय

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (WEST)

हिंदी शिक्षण योजना

HINDI TEACHING SCHEME

म.. हिंदी/04/ हिंदी भाषा प्रशिक्षण/2021-22/ 1238 से 2881 दिनाक :10/11/2021

सेवा में

संपर्क अधिकारी (हिंदी)
निदेशक/संयुक्त निदेशक/प्रबंधक(राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी,
केंद्र सरकार के सभी कार्यालय/राष्ट्रीयकृत बैंक, उपक्रम व संगठन आदि।
मुंबई/नवी मुंबई/पुणे/ नागपुर/वडोदरा/अहमदाबाद/बैंगलूरु/मंगलूरु/ हुब्बल्लि/मैसूर।

विषय- जनवरी- मई, 2022 सत्र के लिए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत की दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन।

महोदय/महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हिंदी शिक्षण योजना के अतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ व पारंगत के दीर्घकालिक प्रशिक्षण का आगामी सत्र दिनांक 03जनवरी, 2022 से प्रारंभ होगा। कृपया अपने कार्यालय के प्रशिक्षण हेतु शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को इन कक्षाओ में नामित करे। नामित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची निर्धारित प्रपत्र में अपने नगर में स्थित हिंदी शिक्षण योजना के अनुलग्नक-I पर दिए गए पते पर दिनांक 13.12.2021 तक भेज दें।

सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑन लाइन संचालित किए जाएंगे। अगर आप अपने कार्यालय में ही आफ लाइन कक्षा प्रारंभ करना चाहते है तो कृपया पत्र द्वारा सूचित करें कि प्रशिक्षण केंद्र पर कोविड -19 के सभी प्रोटोकॉल इत्यादि का पालन सुनिश्चित किया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित केंद्र के हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक से संपर्क करें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी:

| पाठ्यक्रम का नाम | अवधि जनवरी-मई ,2022 | परीक्षा | पात्रता |
|---|---|---|---|
| प्रबोध | 2-2 घंटे एकांतर दिवस सप्ताह में 6 घंटे | मई, 2022 का तीसरा/चौथा सप्ताह | जिनका हिंदी ज्ञान पांचवीं कक्षा के स्तर से कम है ऐसे सभी कर्मचारी/अधिकारी प्रबोध प्रशिक्षण के लिए पात्र है। तमिल, तेलुगु,कन्नड, मलयालम भाषा-भाषी प्रवेश ले सकते हैं। |
| प्रवीण | उपर्युक्त | मई, 2022 का तीसरा/चौथा सप्ताह - | यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, गुजराती, मैथिली, सथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली,बांग्ला,असमिया और उड़िया भाषा-भाषी अधिकारी/ कर्मचारी जिन्हें माध्यमिक स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है,सीधे प्रवेश ले सकते हैं। |
| प्राज्ञ | 1 1/2 - 1 1/2 घंटा एकांतर दिवस सप्ताह में 3 घंटे | मई, 2022 का तीसरा/चौथा सप्ताह | वह उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए है, जो प्रवीण पास कर चुके है या जिनकी मातृभाषा उर्दू ,कश्मीरी , पजाबी तथा पश्तो है और जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या दसवीं कक्षा से कम है , प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं। |
| पारंगत | उपर्युक्त | मई, 2022 का तीसरा/चौथा सप्ताह | केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों,केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। (कार्यालय ज्ञापन. फा.सं.12012/03/2015-राभा(नीति) दिनांक 22.4.2015 के अनुसार। |

पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके पद के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम तक का ही प्रशिक्षण दिया जाना है।

श्री रतन 27/11/2021

2../

वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए कार्मिकों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने के संबंध में।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: 14034/30/2009-राभा.(प्र.) दिनांक 6 जनवरी,2010 के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग "घ" के कार्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है और वर्ग "ग" के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। भाषा एवं टंकण का प्रशिक्षण वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन्हीं कार्मिकों के लिए है जो वर्ग ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते है। इसी अनुक्रम में पात्रतानुसार अपने कार्यालय के वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए कार्मिकों को भी प्रशिक्षण हेतु नामित करने का कष्ट करें।

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, एव प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों कोनिर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए नियमानुसार एक वेतनवृद्धि के बराबर राशिका वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग-व्यय देय है। मार्ग-व्यय का भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
- हिंदी प्रबोध,प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अधोलिखित तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।
- नकद पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी जो पहले जारी किए गए आदेशों में निहित हैं।

| | | |
|---|---|---|
| प्रबोध | 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर | ₹1600/- |
| प्रबोध | 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | ₹ 800/- |
| प्रबोध | 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | ₹ 400/- |
| प्रवीण | 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक प्राप्त करने पर | ₹ 1800/- |
| प्रवीण | 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | ₹ 1200/- |
| प्रवीण | 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | ₹ 600/- |
| प्राज्ञ | 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर | ₹ 2400/- |
| प्राज्ञ | 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | ₹ 1600/- |
| प्राज्ञ | 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | ₹ 800/- |
| पारंगत | 55%से 59% अंक प्राप्त करने पर | ₹4000/- |
| पारंगत | 60% से 69% अंक प्राप्त करने पर | ₹ 7000/- |
| पारंगत | 70 % से अधिक अंक प्राप्त करने पर | ₹10000/- |

परीक्षा शुल्क :

केंद्रीय उपक्रमों,बैंकों,निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ व बैंकिंग प्राज्ञ के लिए ₹100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा),हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन द्वारा देय होगा। पारंगत परीक्षा के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र:

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक-II में भाग-क में दिए गए प्रपत्र में दिनांक 13.12.2021 तक अपने नगर में स्थित हिंदी शिक्षण योजना कार्यालय को अवश्य भिजवा दी जाए।नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही किया जाए तथा नामित करने वाले अधिकारी का विवरण - नाम, कार्यालय का पूरा पता, टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल आई डी, इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाए ताकि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण सस्थान, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के आन लाइन प्रणाली में प्रशिक्षणार्थी का ब्यौरा भरने में या पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी अवश्य दर्शायी जाए।हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत प्रशिक्षण के इस सत्र के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों को कक्षाओं में प्रवेश के लिए दि. 03.01.2022को प्रशिक्षण केंद्र के हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक से संपर्क करना होगा।
- इस पत्र के अलावा प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा।
- संबंधित सहायक निदेशक,हिंदी प्राध्यापक द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी, जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारियों के सबध में समय रहते यथोचित कार्रवाई की जा सके।
- यदि किसी नामित अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यालय के निकट के प्रशिक्षण केंद्र पर स्थान उपलब्ध न रहने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है तो उसे किसी भी अन्य केंद्र पर प्रवेश के लिए भेजा जा सकता है यदि वहां स्थान उपलब्ध हो।

विशेष नोटः

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- जहाँ तक संभव हो नामित प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण की अवधि में स्थानांतरित न किया जाए और न ही उनके नाम वापस लिए जाएँ। जहाँ तक संभव हो उन्हें हिंदी प्रशिक्षण के दौरान अन्य किसी प्रशिक्षण के लिए नामित न किया जाए।

भवदीय,

(डॉ. राकेश कुमार)
उप निदेशक(पश्चिम)
हिंदी शिक्षण योजना
नवी मुंबई

पृ.सं. : हिंदी/04/ हिंदी भाषा प्रशिक्षण/2021-22/ / 1238 से 2881 दिनांक :10/11/2021

प्रतिलिपि प्रेषित -

1. सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना./पुणे/ वडोदरा/अहमदाबाद/बैंगलूरु/मंगलूरु/ हुब्बल्लि /मैसूरको इस अनुरोध के साथप्रेषित कि वे इसे अपने नगर में स्थित संपर्क अधिकारियों ( हिंदी) को परिचालित करने का कष्ट करें।
2. सभी हिंदी प्राध्यापक/ सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, मुबई /पुणे/नागपुर/ वडोदरा/अहमदाबाद/बैंगलूरु/मंगलूरु/ हुब्बल्लि /मैसूर।
3. सभी सचिव,नराकास को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस पत्र को सभी सदस्य कार्यालयों को परिचालित करें।
4. संयुक्त निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण सस्थान, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

(डॉ. राकेश कुमार)
उप निदेशक(पश्चिम)
हिंदी शिक्षण योजना
नवी मुंबई

अनुलग्नक-1/Annexure-I

| नगर का नाम | हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय का पता जहाँ नामांकन प्रेषित करना है | संबंधित केंद्र के अधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा संपर्क सूत्र |
|---|---|---|
| मुंबई नवी मुंबई | उप निदेशक (पश्चिम)<br>हिंदी शिक्षण योजना,राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय<br>केंद्रीय सदन,छठा तल, सी विंग<br>सी बी डी, बेलापुर, नवी मुंबई-400614<br>ई मेल ddhis.west-dol@nic.in | डा. राकेश कुमार,उप निदेशक(पश्चिम), मो.नं. 9960487825<br>श्रीमती गार्गी गाडगिल, हिंदी प्राध्यापक, 9969250917<br>डॉ.महेंद्र कुमार जैन, हिंदी प्राध्यापक, 9869354512<br>श्रीमती रत्ना गोसावी, हिंदी प्राध्यापक, 9423084559<br>श्रीमती रीता चतुर्वेदी, हिंदी प्राध्यापक, 9920770742<br>श्री राजेंद्र सिंह, हिंदी प्राध्यापक, 9967751488<br>श्रीमती भारती सैनी, हिंदी प्राध्यापक, 988789907 |
| पुणे | सर्वकार्यभारी अधिकारी<br>हिंदी शिक्षण योजना<br>एवं<br>रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिण कमान) का कार्यालय<br>न. 01, फायनान्स रोड<br>पुणे-411 001 | डॉ. दिनेश सिंह, हिंदी प्राध्यापक<br>श्री सुखबीर, हिंदी प्राध्यापक<br><br>दूरभाष सं.. 020 29512183 |
| नागपुर | सर्व कार्यकारी अधिकारी<br>हिन्दी शिक्षण योजना<br>निदेशक डाक लेखा कार्यालय<br>आकाशवाणी चौक, सिविल लाइन्स<br>नागपुर - 440001<br>ई-मेल truptit1980@gmail.com | श्रीमती तृप्ति टेंभुर्णे, हिंदी प्राध्यापक<br>दूरभाष स.0712-254422 मोबाइल न. 8380877534 |
| बेंगलूरु | उप निदेशक<br>हिंदी शिक्षण योजना,राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय<br>केंद्रीय सदन, ए-विंग, 5वीं मंजिल, कोरमंगलादूसरा ब्लॉक<br>बेंगलूरु-560034 | श्री एम.पी दामोदरन, प्रभारी सहायक निदेशक<br>फोन 080:-25537089/25537087 |
| मंगलूरु | सर्व कार्यभारी अधिकारी<br>हिंदी शिक्षण योजना<br>प्रधान महाप्रबंधक (दूरसंचार) का कार्यालय<br>दक्षिण कन्नड,दूरसंचार जिला<br>टेलीकॉम हाउस रोड,पांडेश्वर<br>मंगलूरु-575001<br>ई-मेल dgmplgmr@gmail.com | श्री संतोष कुमार, हिंदी प्राध्यापक<br>दूरभाष सं: 0824-2428666<br>मोबाइल न: 9868124678<br>ई-मेल:dgmplgmr@gmail.com |
| हुब्बल्लि | सर्व कार्यभारी अधिकारी<br>हिंदी शिक्षण योजना<br>क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय<br>दक्षिण पश्चिम रेलवे<br>रेल सौध, गदग रोड<br>हुब्बल्लि- 580020<br>ई-मेल bahubali1963@gmail.com | श्री बाहुबली भोसगे, हिंदी प्राध्यापक<br>मोबाइल-8277534868<br>ईमेल-bahuball1963@gmail.com |
| मैसूर | सर्व कार्यभारी अधिकारी<br>हिंदी शिक्षण योजना<br>भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर-570006<br>ई-मेल chti1306-dol@nic.in | श्री कुमार संभव, हिंदी प्राध्यापक<br>मोबाइल-7376281681<br>दूरभाष सं: - 0821-2347350 |
| वडोदरा | सर्वकार्यभारी अधिकारी<br>एवं पोस्ट मास्टर जनरल<br>पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय<br>गहन भाषा प्रशिक्षण उप केंद्र<br>प्रतापगंज, वडोदरा - 390002<br>ई-मेल blsharma_trg@yahoo.com<br>chti1153@nic.in | श्री बंकटलाल शर्मा, सहायक निदेशक<br>दूरभाष प्रशिक्षण स: 0265-2485101<br>मोबाइल नं: 9998983445 |
| अहमदाबाद | कार्यालय सर्वकार्यभारी अधिकारी एवं अपर आयकर आयुक्त (मुख्या/प्रशा )<br>हिंदी शिक्षण योजना<br>नेचर व्यू बिल्डिंग, प्रथम तल<br>कक्ष -108 आश्रम रोड अहमदाबाद गुजरात-380009<br>ई-मेल meenabs365@gmail.com<br>chti1271@nic.in | श्री भगवान सहाय मीना<br>दूरभाष सं: 079-27546322<br>मोबाइल न: 9408794016 |

अनुलग्नक-II/Annexure-II

## भाग–क/PART - A

नामांकन प्रपत्र

| 30.9.2021 को प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग व पारंगत प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या | | | | नामित कर्मचारियों का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रशिक्षण | | | | नाम/ पदनाम | दूरभाष/ ई मेल | हिंदी में योग्यता | जन्म तिथि |
| प्रबोध | प्रवीण | प्राज्ञ व प्राज्ञ बैंकिंग | पारंगत | प्रबोध | प्रवीण | प्राज्ञ / प्राज्ञ-बैंकिंग | पारंगत | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

- कृपया इस में राजभाषा विभाग के दिनांक 3 दिसंबर.2008 के का.ज्ञा.सं. 21034/76/2008-रा.भा.(प्रशि)(i) के अनुसार डाक सहायकों, कार्यालय सहायक, छटाई सहायकों, दूरसचार सहायकों, डाटा एट्री ऑपरेटरों तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों आदि की सख्या भी सम्मिलित करें।

नामित करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम : … ……………………………………
कार्यालय का नाम व पूरा पता, दूरभाष नं. सहित : ………………………………………

ई- मेल आई डी : ……………… ………………… …..

---

## भाग-ख/ Part - B

प्रणाली में प्रविष्टि हेतु प्रशिक्षार्थियों से संबंधित विवरण के बिंद

(इस विवरण को नामित कर्मचारियों की सूची के साथ नामित कर्मचारियों से भरवाकर भिजनाएँ)

प्रशिक्षण कार्यक्रम /सत्र का नाम………………………………………… …. ……………………………

1. प्रशिक्षार्थी का नाम हिदी व अंग्रेजी में :
2. पिता/पति का नाम-हिंदी व अंग्रेजी में :
3. माता का नाम :
4. प्रशिक्षार्थी का पदनाम- हिंदी व अंग्रेजी में::
5. प्रशिक्षार्थी का मोबाइल नं. .
6. प्रशिक्षार्थी का ई-मेल आईडी·
7. प्रशिक्षार्थी का आधार संख्या:
8. मातृभाषा:
9. लिंग- (M/F) :
10. हिंदी भाषा के ज्ञान का स्तर-एसएससी/बारहवीं/स्नातक:
11. मंत्रालय का नाम:
12. नामित करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम/ई मेल:

13. कार्यालय का पूरा नाम एवं पता (पिन कोड सहित) –हिंदी व अंग्रेजी में :

14. कार्यालय का दूरभाष:

--------------------

दिनांक: नामित कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर

922541/2021/HINDI-HQ

नमूना/SAMPLE

## भाग-ख/Part - B

प्रणाली में प्रविष्टि हेतु प्रशिक्षार्थियों से संबंधित विवरण के बिंदु

(इस विवरण को नामित कर्मचारियों की सूची के साथ नामित कर्मचारियों से भरवाकर भिजनाएँ)

प्रशिक्षण कार्यक्रम /सत्र का नाम:पारंगत , जनवरी-मई.2022 सत्र

15. प्रशिक्षार्थी का नाम हिंदी व अंग्रेजी में : रामप्रकाशकांबळे/ Ram Prakash Kambale
16. पिता/पति का नाम-हिंदी व अंग्रेजी में : प्रकाश कांबळे / Prakash Kambale
17. माता का नाम : अनीता कांबळे / Anita Kambale
18. प्रशिक्षार्थी का पदनाम- हिंदी व अंग्रेजी में:: सहायक/Assistant
19. प्रशिक्षार्थी का मोबाइल नं. : 2222222222
20. प्रशिक्षार्थी का ई-मेल आईडी: ramp1199@nic.in
21. प्रशिक्षार्थी का आधार संख्या: 2222 3333 3333 2222
22. मातृभाषा: मराठी/Marathi
23. लिंग- (M/F) : पु./Male
24. हिंदी भाषा के ज्ञान का स्तर-एसएससी/बारहवीं/स्नातक: दसवीं/ 10th Pass
25. मंत्रालय का नाम: वित्त मंत्रालय/ Ministry of Finance
26. नामित करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम/ई मेल: मनोहर लाल तिवारी/ Manohar Lal Tiwari

    : सहायक आयुक्त (प्रशासन)/ Assistant Commissioner (Admin)

    ac.incc@nic.in
27. कार्यालय का पूरा नाम एवं पता (पिन कोड सहित) –हिंदी व अंग्रेजी में : आयकर आयुक्त का कार्यालय, साधु वासवानी रोड, पुणे- 411001

    O/O Income Tax Commissioner, Sadhu Vaswani Road, Pune -411001
28. कार्यालय का दूरभाष:1234567891

नमूना / SAMPLE

--------------------

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

MOST IMMEDIATE